



2026:AHC:129417

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 25498/2026

राधेश्याम यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: अनिल कुमार

विरोधी पक्षकार के लिए अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति, दिनेश पाठक

1. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. आवेदक ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), मेरठ द्वारा पारित समन/संज्ञान आदेश दिनांक 14.10.2025 को चुनौती देते हुए, बीएनएसएस की धारा 528 के तहत इस न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता का अवलंब लिया है। जिसके माध्यम से, वर्तमान आवेदक के विरुद्ध पुलिस थाना हाईवे, जिला मथुरा में भा.दं.सं की धाराओं 409, 420, 467, 468, 471, 120-ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)घ और 13(2) के तहत संज्ञान लिया गया और समन जारी किया गया, जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), न्यायालय संख्या 1, आगरा के समक्ष लंबित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह प्रस्तुत किया गया है कि खाद्यान्न के वितरण में कुछ अनियमितताओं और विसंगतियों को दर्शाते हुए, भा. दं. सं की धाराओं 409, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) घ (ii) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 564/2010 है, दर्ज की गई है। सम्यक जांच के उपरांत, जांच अधिकारी ने वर्तमान आवेदक के विरुद्ध भा. दं. सं की धाराओं 409, 420, 467, 468, 471 और 120-ख के अंतर्गत दिनांक 22.11.2024 को आरोप-पत्र संख्या 7-क/2024 प्रस्तुत किया है। उक्त आरोप-पत्र के आधार पर, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से भा. दं. सं की धाराओं 409, 420, 467, 468, 471, 120-ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) घ (ii) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत संज्ञान लिया और समन जारी किए हैं। इसके बाद, आदेश दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार से संबंधित मामले के निस्तारण हेतु इस मामले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), विशेष न्यायालय संख्या 1, आगरा के समक्ष अंतरित कर दिया गया था।

4. अदालती अभिलेख से प्रकट होता है कि जांच अधिकारी ने सम्यक् जांच के बाद भा.दं.सं की धाराओं 409, 420, 467, 468, 471, 120-ख के तहत अपराध के लिए दं.प्र.सं की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट (आरोप पत्र) प्रस्तुत किया है; हालांकि, समन जारी करने वाले न्यायालय ने आरोप पत्र में उल्लिखित भा.दं.सं की धाराओं के अतिरिक्त, आदेश दिनांक 14.10.2025 के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)घ और 13(2) के तहत भी अवैध रूप से समन जारी किए हैं और संज्ञान लिया है। अब यह सिद्धांत अनिर्णित नहीं रह गया है कि संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायालय को उस आरोप पत्र के दायरे से बाहर जाकर संज्ञान लेने और समन जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं है, जिसमें अभियुक्त पर अपराध का आरोप लगाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2014) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज 659 में रिपोर्ट किए गए गुजरात राज्य बनाम गिरीश राधाकृष्णन वर्दे के मामले में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि संज्ञान लेते समय और समन जारी करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट को उन धाराओं को जोड़ने या घटाने की कोई अधिकारिता



नहीं है जो पहले से ही आरोप पत्र में उल्लिखित हैं। उपर्युक्त निर्णय के सुसंगत पैरा संख्या 13, 14, 15, 16 और 17 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"13. किंतु वर्तमान मामला एक ऐसे प्रकरण से उत्पन्न हुआ है जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है, क्योंकि दं.प्र.सं की धारा 154 के अंतर्गत पुलिस थाना डीसा में पुलिस के समक्ष एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तदनुसार, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दं.प्र.सं के अध्याय XII के तहत विहित प्रक्रिया के निबंधनों के अनुसार जांच किया गया और तत्पश्चात आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इस स्तर पर, आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र में तीन अन्य धाराओं को जोड़ने के लिए परिवादी के एक आवेदन पर विचार किया, वे पूरी तरह से इस बात की उपेक्षा कर गए कि यदि यह परिवादी द्वारा दं.प्र.सं की धारा 190(1)(क) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई परिवाद मामला होता, तो स्पष्ट रूप से मजिस्ट्रेट को मामले की निरीक्षण करने का पूर्ण प्राधिकार और अधिकारिता होती और यदि निरीक्षण के किसी भी स्तर पर मजिस्ट्रेट यह समुचित समझते कि अन्य अतिरिक्त धाराओं को भी सम्मिलित किया जाना उपयुक्त है, तो मजिस्ट्रेट को स्पष्ट रूप से उन्हें जोड़ने से रोका नहीं जा सकता था, जिसके पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान की प्रक्रिया अपनाई जाती और फिर मामले को विचारण के लिए समुचित न्यायालय के समक्ष सुपुर्द कर दिया जाता।

14. परंतु यदि मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष दं.प्र.सं की धारा 190(1)(क) के अंतर्गत परिवाद के माध्यम से न करके, पुलिस थाने में दं.प्र.सं की धारा 154 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण नहीं की जा सकती है; क्योंकि केवल पुलिस की जांच एजेंसी ही विधिक रूप से जांच करने और तत्पश्चात आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए हकदार है, जब तक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि निश्चित रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद भी दर्ज न कराया गया हो जहां परिवाद मामलों के लिए विहित प्रक्रिया लागू होगी। हालांकि एक पुलिस मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, मामला मजिस्ट्रेट के पास इस बात पर राय बनाने के लिए जाता है कि क्या पुलिस के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से दर्ज मामले में संज्ञान लेने और मामले को विचारण के लिए सुपुर्द करने हेतु यह एक उपयुक्त मामला है या नहीं और जांच पूर्ण होने तथा पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट आरोप पत्र में किसी भी धारा को न तो घटा सकते हैं और न ही जोड़ सकते हैं।

15. इसलिए, यह प्रश्न उभरता है कि क्या परिवादी/सूचनाकर्ता/अभियोजन पक्ष को उपचार मांगने से वंचित कर दिया जाएगा, यदि जांच प्राधिकारियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रकट किए गए तथ्यों के बावजूद, भा.दं.सं. की उन सभी धाराओं को शामिल न करके अपने कर्तव्य में चूक की है, जिनके तहत अपराध का घटित होना माना जा सकता है। इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए क्योंकि अभियोजन पक्ष को उन धाराओं को नजरअंदाज करने से पूर्वाग्रह भुगतने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो अपराध का गठन करती हैं, यदि जांच प्राधिकारी किसी भी कारण से उस प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र में उन सभी अपराधों को शामिल करने में विफल रहे हैं जिस पर जांच किया गया था। लेकिन फिर एक और प्रश्न उठता है कि क्या इस कमी को उस मजिस्ट्रेट द्वारा पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है जिसके समक्ष आरोप पत्र दाखिल होने के बाद संज्ञान लेने का मामला आता है और जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के समय धाराओं को जोड़ या घटा नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करना केवल विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करने के समय ही दं. प्र. सं की धारा 216, 218 या धारा 228 के तहत स्वीकार्य होगा, जैसी भी स्थिति हो, जिसका यह अर्थ हो कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, अभियोजन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पक्ष के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह आरोप विरचित करने के चरण में समुचित विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रतिवाद कर स्थापित करे कि दिए गए तथ्यों के आधार पर उन समुचित धाराओं के तहत आरोप विरचित करने की अनुमति दी जाए जो अभियोजन पक्ष के अनुसार विरचित की जानी चाहिए। साथ ही, अभियुक्त को भी इस चरण में यह प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है कि किसी विशेष उपबंध के तहत आरोप विरचित किया जाना चाहिए या नहीं। पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में यह निर्धारित करने के लिए यह बिल्कुल समुचित मंच है कि क्या आरोप विरचित किया जा सकता है और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा आरोप पत्र में प्रकट तथ्यों के आधार पर किसी विशेष धारा को जोड़ा या हटाया जा सकता है।

16. इसके वैकल्पिक रूप में, यदि कोई मामला दं. प्र. सं की धारा 190 या 202 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए किसी परिवाद पर आधारित है, तो मजिस्ट्रेट को उस परिवाद का निरीक्षण करने और तत्पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचने का पूर्ण प्राधिकार और अधिकारिता प्रदान की गई है कि क्या परिवाद में उल्लिखित धाराओं के आधार पर संज्ञान लिया जाना उचित है अथवा उसमें अन्य धाराएं जोड़ी जानी थीं या घटाई जानी थीं। दं. प्र. सं ने स्पष्ट रूप से दो मार्ग समाविष्ट किए हैं जो एक परिवाद मामले में निरीक्षण करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों और पुलिस थाने में रजिस्ट्रीकृत मामले के आधार पर पुलिस जांच शक्तियों को निरूपित करते हैं, जहाँ पुलिस के जांच प्राधिकारी अध्याय XII के तहत जांच का संचालन करते हैं, और इन प्रक्रियाओं के संबंध में पूर्णतः कोई अस्पष्टता नहीं है।

17. अध्याय XII के तहत पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले और अध्याय XIV एवं XV के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद के मामले में अपनाई जाने वाली इस स्पष्ट कार्रवाई के बावजूद, जब दिए गए मामले में दं. प्र.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सं के उपबंधों को लागू करने की बात आती है, तो प्रभावित पक्ष अक्सर भ्रम की स्थिति में फंसे हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पर आधारित मामले से निपटने की मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और पुलिस रिपोर्ट/प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित पुलिस की शक्तियों को आपस में मिलाने की अनुमति दी गई है, और दो अलग-अलग कार्यवाहियों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है, जो कि सही प्रक्रिया नहीं है क्योंकि यह दं.प्र.सं के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। प्रभावित पक्षकारों को स्वयं इस बात से अवगत होना होगा कि यदि पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर दं.प्र.सं की धारा 154 के तहत मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और जांच के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से यह निर्धारित करने का सही चरण कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री, जो आरोप पत्र के रूप में परिणत हुई है, के आधार पर कौन सी धाराएं लागू होंगी, केवल समुचित विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप विरचित करने के समय ही निर्धारण किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, यदि मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए किसी परिवाद से उत्पन्न होता है, तो स्पष्ट रूप से दं. प्र. सं की धारा 190 और 200 के तहत अधिकथित प्रक्रिया का पालन करना होगा।"

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों पर विचार करने के बाद, वर्तमान मामले की दी गई परिस्थितियों में, मेरी यह सुविचारित राय है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), विशेष न्यायालय संख्या-1, मेरठ ने वर्तमान आवेदक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ) और 13(2) के तहत संज्ञान लेने और समन जारी करने में अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण किया है।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान आवेदन सफल होता है और इसे स्वीकार किया जाता है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय संख्या-1 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2025

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को एतद्वारा अभिखंडित किया जाता है। तदनुसार, एतद्वारा यह निदेशित किया जाता है कि संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायालय, आरोप पत्र और अभिलेख पर लाई गई सामग्री पर सम्यक एवं उचित विचार करने के बाद, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिमानतः एक महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार एक नया आदेश शीघ्रता से पारित करेंगे।

7. आज का आदेश आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित निचले न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

29 जून, 2026

वीआर